संख्या-137/2019/1119/41-2019-86 (बजट)/2019

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2019

विषय- पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रासाद योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रायोजनाओं हेतु सेन्टेज, जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस की देयता का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-8273/के0यो0/जी0एस0टी0/2019, दिनांक 25 मार्च, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भारत सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रासाद योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रायोजनाओं जिनका क्रियान्वयन पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यो की लागत के सापेक्ष सेन्टेज, जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस के भुगतान की मांग इस सम्बन्ध में दिनांक-18 सितम्बर, 2018 को सम्पन्न बैठक के निर्गत कार्यवृत्त संख्या-3407/41-2018 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 में दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त मांग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना का नाम	शासनादेश/आदेश संख्या व दिनांक	सेन्टेज/ जी0एस0टी0/ लेबर सेस की माँग
1	2	3	4	5
1	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के अन्तर्गत चित्रकूट का पर्यटन विकास	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-(15)/2016-एसडी दिनाँक 29-09-2016 के अनुक्रम में पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-49/2017/1595/41-2017-18 (बजट)/2017 दिनाँक 12-10-2017 द्वारा रू0 37,38,94,870.00 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 7,47,78,974.00 की वित्तीय स्वीकृति।	1041.93
2	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर के पर्यटन विकास की योजना	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-(15)/2016-एसडी दिनाँक 29-09-2016 के अनुक्रम में पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-36/2017/1463/41-2017-17(बजट) /2017 दिनाँक 11-08-2017 द्वारा रू0 29,48,94,00.00 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 5,89,78,800.00 की वित्तीय स्वीकृति।	527.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास की योजना	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-(12)/2017-एसडी दिनाँक 27-09-2017 द्वारा रू0 133,30,55,000.00 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 23,52,95,000.00 एवं आदेश संख्या-5-(12)/2017-एसडी दिनाँक 27-09-2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 36,53,53,000.00 की वित्तीय स्वीकृति ।	1935.50
4	उ0प्र0 सिंचाई विभाग	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास की योजना		235.16
5	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिष्ट सर्किट योजना के अन्तर्गत कुशीनगर के पर्यटन विकास की योजना	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-(11)/2016-एसडी दिनाँक 29-09-2016 के क्रम में पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-50/2017/1614/41-2017-19(बजट) /2017 दिनाँक 11-10-2017 द्वारा रू0 22,99,72,000.00 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 4,59,44,000.00 की वित्तीय स्वीकृति।	171.25
6	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिष्ट सर्किट योजना के अन्तर्गत कपिलवस्तु के पर्यटन विकास की योजना	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-(11)/2016-एसडी दिनाँक 29-09-2016 के क्रम में पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-39/2018/1027/41-2018-20 (बजट)/ 2017 दिनाँक 22-03-2018 द्वारा रू0 31,60,18,000.00 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 6,32,3,000.00 की वित्तीय स्वीकृति।	942.19
7	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिष्ट सर्किट योजना के अन्तर्गत श्रावस्ती के पर्यटन विकास की योजना	पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-(11)/2016-एसडी दिनाँक 29-09-2016 के क्रम में पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-51/2017/1616/41-2017-21(बजट)/2017 दिनाँक 12-10-2017 द्वारा रू0 51,22,68,560.00 की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 10,24,53,713.00 की वित्तीय स्वीकृति।	910.83
			कुल योग	5764.19

3. अत: उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रासाद योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रायोजनाओं हेतु सेन्टेज, जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस की देयता के भुगतान हेतु प्रस्तर संख्या-2 में मांगी जा रही धनराशि रू0 57,64,19,000.00 (सत्तावन करोड़ चौसठ लाख उन्नीस हजार मात्र) के सापेक्ष निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित कार्यों हेतु स्तम्भ-3 में अंकित कार्यदायी संस्था को स्तम्भ-4 में अंकित मांग के सापेक्ष स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि जिसका कुल योग रू0 28,82,00,000.00 (अट्ठाईस करोड़ बयासी लाख मात्र) होता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है, को सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	कार्यदायी संस्था का नाम	योजना का नाम	सेन्टेज/ जी0एस0टी0/ लेबर सेस की माँग	सेन्टेज/ जी0एस0टी0/ लेबर सेस की माँग के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट के अन्तर्गत चित्रकूट का पर्यटन विकास	1041.93	520.96
2	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर के पर्यटन विकास की योजना	527.33	263.66
3	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास की योजना	1935.50	967.75
4	उ0प्र0 सिंचाई विभाग	स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट योजना के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास की योजना	235.16	117.50
5	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिष्ट सर्किट योजना के अन्तर्गत कुशीनगर के पर्यटन विकास की योजना	171.25	85.63
6	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिष्ट सर्किट योजना के अन्तर्गत कपिलवस्तु के पर्यटन विकास की योजना	942.19	471.10
7	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिष्ट सर्किट योजना के अन्तर्गत श्रावस्ती के पर्यटन विकास की योजना	910.83	455.40
			5764.19	2882.00

(1) सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस की धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से जमा की गयी धनराशि की प्रामाणिक रूप से पुष्टि करने के पश्चात ही उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विभाग एवं शासन को इसका विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीय योजनाओं के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यो के आगणन में लेबरसेस/ अन्य कर सम्मिलित नहीं है। यदि आगणन दिनांक 01 जुलाई 2017 के पूर्व गठित है तो जी0एस0टी0 का भुगतान करते समय वैट आदि के रूप में सम्मिलित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(3) पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की स्वदेश दर्शन एवं प्रासाद योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रायोजनाओं हेतु सेन्टेज, जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस की देयता के भुगतान आदि के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव/महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 18 सितम्बर 2018 को सम्पन्न बैठक के निर्गत कार्यवृत्त संख्या-3407/41-2018 दिनांक 14 दिसम्बर 2018 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उपर्युक्त स्वीकृत प्रायोजनाओं हेतु सेन्टेज, जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस की देयता का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

5. उक्त प्रस्तर-2 में निवर्तन पर व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 28,82,00,000.00 (अट्ठाईस करोड़ बयासी लाख मात्र) का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0107-स्वदेश दर्शन स्कीम के अन्तर्गत बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट तथा कृष्णा सर्किट (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या-137/2019/1119(1)/41-2019-86(बजट)/2019 दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- आयुक्त/जिलाधिकारी सम्बन्धित मण्डल/जिला ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
11- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
12- उपनिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ को उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने एवं निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
14- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in